तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज स्थानान्तरण प्रा0पत्र मु0न0 05/2025 उनवानी कामेश माथुर वगैरा बनाम अशोक वगैरा न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुये
18.08.2025	आज यह पत्रावली पेश हुई। उपखण्डाधिकारी बाडी ने अपने पत्रांक कमांक/राजस्व/2025/451 दिनांक 14.08.2025 से टिप्पणी भिजवाई जो शामिल पत्रावली की गई। उभयपक्ष के अभिभाषक उपस्थित। प्रार्थी श्री कामेश माथुरा ने यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्डाधिकारी बाडी में विचाराधीन प्रकरण उनवानी कामेश माथुर वगैरा बनाम अशोक वगैरा मु0न0 74/2024 को अन्य किसी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी ने यह कथन किया है, कि उक्त प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 03 हितेन्द्र कुमार कानूगों है तथा प्रतिवादी संख्या 06 ह्रदेश पटवारी है जो तहसील बाडी क्षेत्र में ही कार्यरत है और वह एस.डी.ओ साहब बाडी के नजदीकी है जिस वजह से एस.डी.ओ. साहब बाडी वादीगण के साथ पक्षपात करते है। प्रार्थीगण को पूरी तरह से उक्त प्रकरण में उपखण्डाधिकारी महोदय बाडी द्वारा दबाया और प्रार्थीगण के साथ पक्षपात किया जा रहा है इस लिए प्रार्थीगण को अब यह आवश्यक हो गया है कि उपखण्डाधिकारी महोदय बाडी प्रतिवादीगण से पूरी तरह से मिले हुए है और अब प्रार्थीगण को उपखण्डाधिकारी महोदय बाडी से न्याय की उम्मीद नहीं है। उक्त परिस्थियों में प्रार्थीगण का वाद प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानांतरित किये जाने की प्रार्थना की है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। प्राथीगण की ओर से श्री इकराम खान एडवोकेट तथा अप्रार्थीगण की ओर से योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट ने वकालातनामा पेश किया। अप्रार्थीगण/उनके अभिभाषक की ओर से प्रार्थना पत्र के सम्बध में कोई लिखित जबाव पेश नही किया गया। उक्त स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पर न्यायालय उपखण्डाधिकारी धौलपुर की टिप्पणी प्राप्त की गई। उपखण्डाधिकारी धौलपुर ने अपनी टिप्पणी पत्रांक कमांक/राजस्व/2025/451 दिनांक 14.08.2025 मे स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में अंकित आरोपो को अस्वीकार करते हुये कथन किया है, कि यदि उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य न्यायालय में स्थानान्तिरत किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। हमने उपस्थित दोनों पक्षों के अभिभाषको की बहस सुनी व बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं उपखण्डाधिकारी बाडी द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी का अवलोकन किया। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अभिभाषकों ने उक्त प्रकरण को अन्य किसी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने की सहमति जाहिर की। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्डाधिकारी बाडी में विचाराधीन प्रकरण उनवानी कामेश माथुर	

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

जिला कलक्टर
धौलपुर

	वगैरा बनाम अशोक वगैरा मु0न0 74/2024 को न्यायालय उपखण्डाधिकारी धौलपुर में स्थानान्तिरत किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उपखण्डाधिकारी बाडी को निर्देशित किया जाता है, कि वह प्रकरण की मूल पत्रावली को न्यायालय उपखण्डाधिकारी धौलपुर को भिजवावे। उक्त आदेशिका की प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी/धौलपुर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफतर हो। आदेश सुनाया गया। (श्रीनिधि बी टी) जिला कलक्टर धौलपुर	

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)